

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं-अर्जन अधिकारी मुलताई

प्रकरण क्रमांक 21 अ-82/2019-20, मौजा - पसतलई

दिनांक 1 / 12 / 2019

प्ररूप "ख"  
(नियम - 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- (1) परियोजना विकास का नाम :- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग  
 (2) लोक प्रयोजन :- पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय योजना  
 (3) स्थल :- पसतलई  
 (4) परियोजना का सिंचित क्षेत्र :- 240 Ha  
 (5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :- हां  
 (6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- हां  
 (7) परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम चरण  
 (8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शों :- रकबा 14.977 Ha  
 (9) परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि :- रकबा 14.977 Ha  
 (10) भूमि का मुल्य :- 723200 /- प्रति हे. (सिंचित)  
 :- 361600 /- प्रति हे. (असिंचित)  
 (11) प्रभावित परिवारों की संख्या  
 अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार :-  
 (12) परिसंपत्तियां :-  
 लोक संपत्ति :- भूमि निरंक भवन निरंक अन्य  
 नीजि संपत्ति :- भूमि 14.977 Ha भवन निरंक अन्य  
 (13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या  
 जिनकी भूमि अर्जित हुई :-

ग्राम :- पसतलई

परिवारों की संख्या :- 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	योग
0	0	0	0

जिनके मकान अर्जित हुए :- 0

ग्राम :- पसतलई

परिवारों की संख्या :- 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	योग
0	0	0	0

21.12.19  
सी.का.ग.

(14) सामाजिक समाघात :-

(क) समाघातों का विवरण :- निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची :- निरंक

(15) विकल्प जिन पर विचार किया गया :-

(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? :-


पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय योजना


(ख) यदि नहीं - तो क्यों ? :- निरंक

(16) निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसंपत्तियां प्रभावित हो रही हैं उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं। सभी मापदण्डों के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

डिप्टी कमिश्नर  
(निजिन टाबे)  
बैकूल

  
श्री मुरारी अग्रवाल  
व्यवसायिक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित  
व्यक्ति (सदस्य)

  
उपयम मंडलाधिकारी  
मुलताई (सदस्य)

01/12/19  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
आमला (सदस्य)